

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
काशीराम बनाम रणधीर आदि

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या - 327/2015

जीसीएमएस नम्बर - 2015/00074

1. काशीराम पुत्र श्री जुगलाल जाति महाजन निवासी नूहनियां तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

वादी

बनाम

1. रणधीर

2. हरपाल

हरियाणा

3. सत्यवीर सिंह पुत्रान रूड़ाराम

4. सुरेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर सिंह जाति महाजन नि0 नूहनियां हाल आबादएस.के. क्लोथ स्टोर मु0पो0 बालीपुरा जिला सोनीतपुर आसाम।

5. गजानंद पुत्र श्री सुरजाराम जाति महाजन निवासी नूहनियां

6. अनिल कुमार अग्रवाल पु. श्री बाबूलाल

7. सुनिल कुमार अग्रवाल पु. श्री बाबूलाल

8. सुमित्रा देवी पत्नी बाबूलाल समस्त हाल आबाद 602, 603 त्रिवेद चैंबर्स रिंग रोड सूरत, गुजरात

9. बिमला देवी पत्नी ताराचंद जाति महाजन निवासी नूहनियां

10. सत्यनारायण पुत्र श्री ताराचंद जाति महाजन निवासी नूहनियां

11. राजेश पुत्र श्री ताराचंद जाति महाजन नि. नूहनियां

12. मनोज पुत्र श्री ताराचंद जाति महाजन नि. नूहनियां समस्त हाल आबाद सी 070 नीलकंठ हाईट मॉडल सूरत गुजरात।

13. राम प्रताप पुत्र श्री लिछमण भाना जाति महाजन निवासी नूहनियां

14. दूर्गाप्रसाद पुत्र श्री रामस्वरूप जाति महाजन नि. नूहनियां

15. सुशील कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति महाजन नि. नूहनियां

16. प्रभाती लाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति महाजन नि. नूहनियां

17. मोतीलाल पुत्र श्री रामस्वरूप जाति महाजन नि. नूहनियां समस्त हाल आबाद मुख्य बाजार सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

17/1 पवन कुमार पु0 मोती लाल

17/2 चंचल पुत्री मोती लाल जाति महाजन नि0 नूहनियां तह0 बुहाना जिला झुंझुनू।

18. सुरेन्द्र पुत्र श्री उमराव



Amr
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज0)

19. नरेश पुत्र श्री जमराव जाति महाजन निवासी नूहनिया तह0 बुहाना जिला झुझुनु।
20. नन्दलाल पुत्र श्री जगलाल जाति महाजन नि0 नूहनिया जिला आबाद मनोहर रोड कस्ती शाहपुरा जिला धनबाद झारखण्ड
 - 20/1 श्रीप्रकाश पुत्र नन्दलाल
 - 20/2 रणजीत पुत्र नन्दलाल
 - 20/3 शारिका प्रसाद पुत्र नन्दलाल
 - 20/4 मोहन पुत्र नन्दलाल
 - 20/5 प्रेम पुत्री नन्दलाल
 - 20/6 सरोज पुत्री नन्दलाल
 - 20/7 प्रार्वती पत्नी नन्दलाल समस्त जाति महाजन निवासी नूहनिया जिला मनोहर टांड कस्ती पोस्ट सिधरी, जिला धनबाद, झारखण्ड
21. महाबीर दत्तक पुत्र माना जाति महाजन निवासी नूहनिया
22. रामान्तर पुत्र बनवारी जाति महाजन निवासी नूहनिया
23. श्रीप्रकाश पुत्र श्री बनवारी लाल जाति महाजन निवासी नूहनिया।
24. बंशी पुत्र बनवारी लाल जाति महाजन नि नूहनिया समस्त हाल आबाद फेजाब क्लीथ स्टारे, मेन बाजार न्यू जलपायीगुडी एनजीपी परिवाम बगाल।
25. कमलेश
26. नीरम
27. सुनिता
28. मीर उर्फ मीनू
29. सोनिका पुत्री श्री बाबुलाल जाति महाजन निवासी नूहनिया तह0 बुहाना जिला झुझुनु।
30. संतरा पुत्र फूलाराम जाति महाजन निवासी नूहनिया तह0 बुहाना जिला झुझुनु।
31. शेर सिंह पुत्र श्री डालुराम जाति जाट नि0 काजला तह0 बुहाना जिला झुझुनु।
32. शारदा प्रबधक आईसीआईसीआईसी शाखा सागा तह0 बुहाना जिला झुझुनु।
33. तहमीलदार भू0रवामी तहरील बुहाना जिला झुझुनु।

.....प्रतिवादीगण

दादा खाता विभाजन

— निर्णय—

निर्णय दिनांक—17/3/2025

(1) वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. बाके ग्राम नूहनिया तह0 बुहाना जिला झुझुनु स्थित भूमि के हाल खाता सं. 12 के ख.न. 01 रकबा 0.42 हे0, ख.न. 02 रकबा 0.38 हे0, ख.न. 03 रकबा 3.52 हे0, ख.न. 04 रकबा 0.65 हे0, ख.न. 05 रकबा 0.54 हे0, ख.न. 70 रकबा 2.21 हे0, ख.न. 71 रकबा 1.14 हे0, ख.न. 72

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 जिला झुझुनु (राज.)

रकबा 1.20 है0, ख.न. 73 रकबा 0.98 है0, ख.न. 74 रकबा 0.53 है0, ख.न. 75 रकबा 0.62 है0, ख.न. 296 रकबा 1.32 है0, ख.न. 297 रकबा 0.68 है0, ख.न. 298 रकबा 0.70 है0, ख.न. 299 रकबा 2.80 है0 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 17.59 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी एक लगायत 30 है जिसमें वादी का हिस्सा 128/855 भाग यानि 2.63 है0 भूमि है।

यह कि ग्राम नूहनिया में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 78 के हाल ख.न. 29 रकबा 1.01 है0, ख.न. 30 रकबा 1.07 है0, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.08 है0, भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 31 है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/18 भाग बनता है।

यह कि वाद वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बाहरी बटवारा कर रखा है लेकिन विधिवत रूप से बटवारा नहीं हुआ है। उक्त बटवारा करीब 30 वर्ष पूर्व से कर रखा है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण व्यवसाय के लिए ग्राम नूहनिया में अक्सर बाहर रहते हैं तथा ग्राम में कम रहते हैं तथा कृषि भूमि बटाथी में देते हैं। कृषि भूमि की मेड आदि एवं कृषि कार्य सुधार हेतु एवं ऋण आदि लेने में सुविधा के लिये वादी अपना खाता विभाजन करवाना चाहता है। अतः वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।


यह कि वादी/प्रतिवादीगण व्यवसाय के लिए ग्राम नूहनिया से बाहर रहते हैं वादी ने खाता विभाजन के लिये प्रतिवादीगण को कहा तो उन्होंने कहा हम एक साथ तहसील परिसर में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं जिसके कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि-

ग्राम नूहनिया तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं स्थित भूमि के हाल खाता सं. 12 के ख.न. 01 रकबा 0.42 है0, ख.न. 02 रकबा 0.38 है0, ख.न. 03 रकबा 3.52 है0, ख.न. 04 रकबा 0.65 है0, ख.न. 05 रकबा 0.54 है0, ख.न. 70 रकबा 2.21 है0, ख.न. 71 रकबा 1.14 है0, ख.न. 72 रकबा 1.20 है0, ख.न. 73 रकबा 0.98 है0, ख.न. 74 रकबा 0.53 है0, ख.न. 75 रकबा 0.52 है0, ख.न. 296 रकबा 1.32 है0, ख.न. 297 रकबा 0.68 है0, ख.न. 298 रकबा 0.70 है0, ख.न. 299 रकबा 2.80 है0 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 17.59 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी एक लगायत 30 है जिसमें वादी का हिस्सा 128/855 भाग यानि 2.63 है0 भूमि है। भूमि का कब्जे काश्तानुसार खाता अलग कर अलग से लगान कायम किया जावे।

कि ग्राम नूहनिया में स्थित भूमि हाल खाता सं. 78 के हाल ख.न. 29 रकबा 1.01 है0, ख.न. 30 रकबा 1.07 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 2.08 है0, भूमि में वादी का हिस्सा 1/18 कब्जे काश्तानुसार खाता अलग कर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 04 लगायत 17/1, 17/2, 25 ल0 29 की ओर से इकबालिया जवाब मय



उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी पर किया। शेष प्रतिवादीगण बादाबूट समूह तामील के अनुपस्थित होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अंगत में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 04 लगायत 17/1, 17/2, 25 लगायत 29 की ओर से इकबालिया जवाब मय प्रतिवादा निम्नप्रकार से पेश है।

यह माम मुहम्मिया तहसील बुहाना जिला बुधुनु स्थित भूमि में हाल खाता सं. 12 के ख.न. 01
ख.न. 02 रकबा 0.38 है। ख.न. 03 रकबा 0.52 है। ख.न. 04 रकबा 0.85
है। ख.न. 05 रकबा 0.54 है। ख.न. 70 रकबा 2.21 है। ख.न. 71 रकबा 1.14 है। ख.न. 72
ख.न. 1.25 है। ख.न. 73 रकबा 0.88 है। ख.न. 74 रकबा 0.53 है। ख.न. 75 रकबा 0.52
है। ख.न. 296 रकबा 1.32 है। ख.न. 297 रकबा 0.58 है। ख.न. 298 रकबा 0.70 है। ख.न.
299 रकबा 2.80 है। कुल कित्ता 16 कुल रकबा 17.59 है। मैं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा
1/30 भाग, प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा 1/90 भाग, प्रतिवादी संख्या 15 का
हिस्सा 1/90 भाग, प्रतिवादी संख्या 16 का हिस्सा 1/90 भाग प्रतिवादी संख्या 17/1,
17/2 का हिस्सा 1/90 भाग व खाता संख्या 78 के ख.न. 29 रकबा 1.01 है। ख.न. 30
रकबा 1.07 है। कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2.08 है। मैं प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा
1/30 भाग, 1/15 भाग, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/30 भाग, प्रतिवादी संख्या 6, 7,
8, 29 का हिस्सा 1/90 भाग, प्रतिवादी संख्या 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28 का हिस्सा
1/15 भाग, प्रतिवादी संख्या 13 का हिस्सा 1/15 भाग, प्रतिवादी संख्या 14 का हिस्सा
1/90 भाग, प्रतिवादी संख्या 17/1, 17/2 का हिस्सा 1/90 भाग, कब्जा कास्त अनुसार
खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी पर उपरोक्त प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया
गया। प्रतिवादी पर उपरोक्त प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन
किया गया। दावा खाता विभाजन का है। वादी अपना हिस्से का कब्जा कास्त के अनुसार
खाता विभाजन चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 04 लगायत 17/1, 17/2, 25 ल. 29 ने
प्रतिवादा प्रस्तुत कर अपने हिस्से का खाता विभाजन चाहा है। खाता विभाजन खातेदार का
कानूनी अधिकार है। अतः न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 04 लगायत
17/1, 17/2, 25 ल. 29 बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक दिनांक 17.02.
2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्राक
1128 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्राक 1128 दिनांक
14.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का
मनन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने
में विवदन किया। किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।


उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला बन्कुरा (राज.)

रहस के अनुसार साथ ही दस्तावेज व्यवस्था के साथ ही राज्य का कार्य निर्यात नहीं किया गया। पत्रावली पर उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के आधार पर अधिकांश का कार्य पूर्णक अवलोकन एवं मंजन किया गया। पत्रावली पर उपरोक्त तयवादी संख्या 2019-2019 वाले ग्राम नूहनिया स्थित भूमि हाल खाल संख्या 12, 78, 79, 80 व प्रतिवादी सं 28 लगायत सं 1, 17/2, 25 लगायत 29 के दर्ज हिस्से व बीहा संख्या संख्या अनुसार कार्य वादी द्वारा कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।


- आदेश -

न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 17/1, 17/2, 25 तथा 29 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया है। अतः वाले ग्राम नूहनिया तहसील बुहाना जिला बुधन, राज 0 स्थित भूमि हाल खाल सं 12 के खन 01 रकबा 0.42 है, खन 02 रकबा 0.38 है, खन 03 रकबा 3.52 है, खन 04 रकबा 0.65 है, खन 05 रकबा 0.54 है, खन 70 रकबा 2.21 है, खन 71 रकबा 1.14 है, खन 72 रकबा 1.20 है, खन 73 रकबा 0.98 है, खन 74 रकबा 0.53 है, खन 75 रकबा 0.52 है, खन 296 रकबा 1.32 है, खन 297 रकबा 0.88 है, खन 298 रकबा 0.70 है, खन 299 रकबा 2.80 है, कुल कित 15 कुल रकबा 17.86 है तथा ग्राम नूहनिया में स्थित भूमि हाल खाल सं 78 के हाल खन 29 रकबा 1.01 है, खन 30 रकबा 1.07 है, कुल कित 02 कुल रकबा 2.08 है, वादी व प्रतिवादीगण का खाल लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाया है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना जिला विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग कार्य किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कार्य किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री के अग्रे अग्रे रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जाये। रहन कार्य कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार कार्रकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर रिकॉर्ड में दर्ज किया जाये। पर्या डिक्री जारी हो।"


 उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 जिला बुधन (राज.) एवं

पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

आज दिनांक 17/3/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।


 (समूह पदेन) उपखण्ड अधिकारी बुहाना
 जिला बुधन (राज.) एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला मुन्डुनू (राज.)

सुमन देवी II आर ए एस

जीसीएमएस नम्बर - 2015/00274

अधीन अधिकारी-

वाद सं- 327/2015

काशीराम बनाम रणधीर सिंह आदि

दावा बाबत- खाता विभाजन

-निर्णय-

वादी की ओर से श्री राजकुमार एडवोकेट की उपस्थिती व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 17/1, 17/2, 25 लगायत 29 की ओर से श्री सुरेन्द्र मानपुरा एडवोकेट की उपस्थिति में एव शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिवादा प्रतिवादी संख्या 04 लगायत 17/1, 17/2, 25 तः 29 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नूहनियां तहसील बुहाना जिला मुन्डुनू राज. स्थित भूमि हाल खाता सं. 12 के ख.न. 01 रकबा 0.42 है०, ख.न. 02 रकबा 0.38 है०, ख.न. 03 रकबा 3.52 है०, ख.न. 04 रकबा 0.65 है०, ख.न. 05 रकबा 0.54 है०, ख.न. 70 रकबा 2.21 है०, ख.न. 71 रकबा 1.14 है०, ख.न. 72 रकबा 1.20 है०, ख.न. 73 रकबा 0.98 है०, ख.न. 74 रकबा 0.53 है०, ख.न. 75 रकबा 0.52 है०, ख.न. 296 रकबा 1.32 है०, ख.न. 297 रकबा 0.68 है०, ख.न. 298 रकबा 0.70 है०, ख.न. 299 रकबा 2.80 है० कुल कित्ता 15 कुल रकबा 17.59 है० तथा ग्राम नूहनियां में स्थित भूमि हाल खाता सं. 78 के हाल ख.न. 29 रकबा 1.01 है०, ख.न. 30 रकबा 1.07 है० कुल कित्ता 02 कुल रकबा 2.08 है०, वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खातों कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन रहन कोई भी कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 17/3/2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक न्यायाधीश बुहाना